तीनों सेनाओं की महिला टीम ने रचा इतिहास

314 दिन की विश्व यात्रा पूरी, महिला अफसरों का सम्मान

- समुद्र प्रदक्षिणा की वीरांगनाओं को राजनाथ का सम्मान
- विश्व परिक्रमा कर लौटीं महिला अधिकारी
- पिछले वर्ष 11 सितंबर को वीसी के माध्यम से रवाना किया गया था

नई दिल्ली 30 जुलाई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की नौ महिला अधिकारियों को सेना के नौकायन पोत (आईएएसवी) त्रिवेणी पर पहली त्रि-सेवा सर्व-महिला विश्व परिक्रमा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा सफलतापूर्वक पूरा करने पर सम्मानित किया.

श्री सिंह ने यहां अधिकारियों से बातचीत के दौरान 314 दिनों में चार महासागरों में लगभग 25,500 समुद्री मील की यात्रा पूरी करने के लिए उनकी सराहना करते हुए इसे नारी शक्ति और त्रि-सेवा संयुक्तता का प्रतीक बताया, जो पूरे देश को प्रेरित करेगा. महिला अधिकारियों ने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण यह अभियान देश का गौरव बढ़ाने के उनके संकल्प के कारण यादगार और संतोषजनक बन गया. महिला अधिकारियों की क्षमता और आत्मविश्वास को अविश्वसनीय बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस अभियान ने उन रूढ़ियों को तोड़ दिया है, जिनमें माना जाता था कि महिलाएं कठिन सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सकतीं. उन्होंने कहा कि शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता का लिंग से कोई संबंध नहीं है तथा भारत की हर बेटी उनकी उपलब्धि से प्रेरणा ले सकती है.

> श्री सिंह ने कहा कि सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों ने एक ही ध्वज के नीचे एक साझा उद्देश्य के लिए साथ मिलकर नौकायन किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सामूहिक प्रयास से कोई भी क्षितिज बहुत दूर नहीं होता. उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा के दौरान भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, स्वदेशी क्षमताओं और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए भी टीम की सराहना की..

मध्य प्रदेश समेत 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली, 30 जुलाई. देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिम मध्य छत्तीसगढ़ और विदर्भ के आसपास बने गहरे अवदाब के कारण मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं. मौसम प्रणाली के प्रभाव से 30 जुलाई और 31 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, 30 जुलाई को मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश का अनुमान जताया गया है. गुजरात क्षेत्र में 31 जुलाई और 1 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है.

गुरुवार से फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा

देहरादून 30 जुलाई . उत्तराखंड में चारधाम यात्रा दो दिन स्थगित रहने के बाद आज गुरुवार को फिर से संचालित की गई . शासन और गढ़वाल आयुक्त के निर्देशानुसार गुरुवार को यात्रा सुबह 6 बजे से सुचारु संचालित कर दी . इससे पहले, चारधाम यात्रा मार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन से अवरूद्ध होने और भारी बारिश का अलर्ट के कारण यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत 28 जुलाई और 29 जुलाई के लिए चारधाम यात्रा स्थगित की गई थी .

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगंज क्षेत्र इन्दौर (म.प्र.)

(कोर्ट रूम नं. 104-105 प्रथम तल संयुक्त तहसील कार्यालय, सुपर कोरिडोर पर रेल्वे ब्रिज के पास टिगरिया बादशाह जिला इंदौर)
क्रमांक/763/प्रवाचक/2026 इन्दौर, दिनांक 28/04/2026

:: विज्ञप्ति ::

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, आवेदक मे. एकुअल रियल्टीज प्रा.लि. तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अंकित गंगवाल पता 206-214 बी सिंगापुर बिजनेस पार्क, एल.आई.जी चौराहा ए.बी रोड इंदौर द्वारा ग्राम छोटा बांगडदा स्थित सर्वे नम्बर 212/1 व अन्य पर विकसीत, कॉलोनी आर.आर. एन्क्लेव के रहवासी द्वारा प्रस्तावित 'आर.आर. एन्क्लेव रेसीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन' के नाम से रहवासी संघ पंजीयन करने हेतू मध्य प्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, नियम 2000 के अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम 2019 की धारा 2 (ठ) के अंतर्गत प्रकोष्ठ स्वामियों/रहवासीयों की रखरखाव समिति के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जिस किसी भी संस्था व व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो नियत पेशी दिनांक 14/08/2026 के पूर्व इस न्यायालय के समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधी के माध्यम से मय प्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है बाद मियाद प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांक 28/7/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
मल्हारगंज-क्षेत्र, इन्दौर

न्यायालय- माननीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्बन्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रं.-06/26 इजरा (सिविल),

कु. रानी जौहरी
...आवेदिका
बनाम
सुनील जौहरी
...अनावेदक

//सूचना-पत्र//

बनाम- अनावेदक सुनील जौहरी पुत्र स्व. श्री रमेशचंद्र वर्मा आयु- 55 वर्ष, कार्यालय पता द्वारा ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.) डायरेक्टर, दूरदर्शन केन्द्र नौलखा (नवलखा), पिन कोड-452001

//सूचना-पत्र//

यहकि, आवेदिका कु. रानी जौहरी पुत्री श्री सुनील जौहरी, आयु-25 वर्ष, निवासी पिछाड़ी ड्योढ़ी, पानी की टंकी के सामने, गोरखी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) के द्वारा आपके विरूद्ध इस न्यायालय में समक्ष इजराय आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये सूचना-पत्र से आप अनावेदक सुनील जौहरी को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में अपना जवाब इस न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 10.09.2026 को प्रातः 11:00 बजे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यदि नियत दिनांक को न्यायालय अवकाश घोषित हो जाता है अथवा पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहते हैं तो प्रकरण की सुनवाई आगामी कार्य दिवस पर की जावेगी। आज दिनांक 28.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(अजयकांत पाण्डे)
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर(म.प्र.)

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9 बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू अतिरिक्त ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीएचएफएल को अदा करें। ऋण की देय चुकौती हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीएचएफएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/मेसर्स)	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या LNHLAS1000140702 (पुराना) 51200000637539 (नया) (आष्टा ब्रांच) अनिल परमार (उधारकर्ता) ज्योति परमार (सह-उधारकर्ता)	14.07.2026 रू. 21,37,514/- (03.07.2026 तक)	जमीन और इमारत वाली पूरी प्रॉपर्टी, जिसका विवरण इस प्रकार है: पीएच नं.-17, खसरा नंबर 1951/3/10/1, 1951/3/10/2, वार्ड नंबर 15 जवाहर वार्ड, शंकर नगर कॉलोनी सुजालपुर, तहसील - सुजालपुर, ज़िला - शाजापुर, मध्य प्रदेश - 465333। प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल - 600 वर्ग फीट। प्रॉपर्टी की सीमाएँ: उत्तर - छाबड़ा जी का घर, दक्षिण - सोनी जी का प्लॉट, पूर्व - अरविंद का घर, पश्चिम - कॉलोनी रोड।
2.	(ऋण खाता संख्या LNHLKW1000136288 (पुराना) 512000000876027 (नया) (खंडवा शाखा) दीप सिंह झाला (उधारकर्ता) लालता झाला (सह-उधारकर्ता), फूल कुँवर बाई (गारंटर) (सह-उधारकर्ता)	22.07.2026 रू. 11,14,973.99/- (03.07.2026 तक)	वह संपत्ति जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, प्लॉट संख्या 78, हाई लिंक सिटी, किशोर कुमार गांगुली वार्ड, वार्ड संख्या 05, खसरा संख्या 1024, खसरा संख्या 1025/1, खसरा संख्या 1025/2, खसरा संख्या 1029/1, खसरा संख्या 1029/2 और खसरा संख्या 1029/3, क्षेत्रफल 800 वर्ग फुट (अर्थात 74.32 वर्ग मीटर), ग्राम खंडवा तरफ मानकर, तहसील और जिला खंडवा, पूर्वी निमार, मध्य प्रदेश, 450001। संपत्ति की सीमाएँ: उत्तर - प्लॉट संख्या 77, दक्षिण - प्लॉट संख्या 79, पूर्व - कॉलोनी रोड, पश्चिम - प्लॉट संख्या 69।
3.	(ऋण खाता संख्या) LNHLKHD000055229 (पुराना) 503000000851176 (नया) (खंडवा शाखा) गंगाराम प्रजापति (उधारकर्ता) रेखा बाई (सह-उधारकर्ता)	16.07.2026 रू. 11,42,234/- (03.07.2026 तक)	जमीन और इमारत वाली पूरी प्रॉपर्टी, जिसका विवरण इस प्रकार है: पीएच नंबर 92, ग्राम पंचायत डिमांड पंजी नंबर 660, क्षेत्रफल 648 वर्ग फीट, गाँव जसवाड़ी, खंडवा, पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश, 450001। प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- उत्तर - सड़क, दक्षिण - चुन्नीलाल का घर, पूर्व - सड़क, पश्चिम - राधेश्याम का प्लॉट।
4.	(ऋण खाता संख्या 51200001052805 एवं 51100001052956 (झाबुआ शाखा) हेमंत शर्मा (उधारकर्ता) नैना (सह-उधारकर्ता)	15.07.2026 रू. 38,55,038/- (03.07.2026 तक)	जमीन और इमारत वाली पूरी प्रॉपर्टी का विवरण: रिहायशी प्लॉट, जो सर्वे नंबर 503/2/21 पर स्थित है, एरिया 0.007 हेक्टेयर या 720 वर्ग फीट, पीएच नंबर 45, वार्ड नंबर 02, सुभाषचंद्र बोस वार्ड (कमला कंपाउंड के पास), गाँव मेघनगर, तहसील मेघनगर, ज़िला झाबुआ (म.प्र.), 457779। प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- उत्तर - रतन पाटीदार का प्लॉट, दक्षिण - गली रोड, पूर्व - अनीता अशोक गुप्ता की जमीन, पश्चिम - आशय जैन की जमीन।
5.	(ऋण खाता संख्या) LNHLAGA000055641 (पुराना) 50300000609846 (नया) (आगर मालवा शाखा) हेमराज पाटीदार (उधारकर्ता) टीना चौधरी, अनोखी बाई पाटीदार, जय नारायण पाटीदार (सह-उधारकर्ता)	16.07.2026 रू. 6,70,874.99/- (03.07.2026 तक)	जमीन और इमारत वाली पूरी प्रॉपर्टी, जिसका विवरण इस प्रकार है: पीएच नं. 55 (नया) पीएच नं.14 (पुराना), वार्ड नंबर 9, हाउस नंबर 321, ग्राम मोदी, तहसील सुसनेर, ज़िला आगर मालवा, मध्य प्रदेश-465447, कुल क्षेत्रफल 88.66 वर्ग मीटर। प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- उत्तर - किशन का प्लॉट, दक्षिण - रोडमल (पिता मदनलाल) का प्लॉट, पूर्व - जगदीश की जमीन, पश्चिम - नलखेड़ा रोड।
6.	(ऋण खाता संख्या) LNHLSJP000143333 (पुराना) 51200000830221 (नया) (शाजापुर शाखा) कीर्ति वैभव (उधारकर्ता) वैभव प्रकाश (सह-उधारकर्ता)	22.07.2026 रू. 4,63,362.99/- (03.07.2026 तक)	जमीन और इमारत वाली पूरी प्रॉपर्टी, जिसका विवरण इस प्रकार है: प्रॉपर्टी पीएच नं.-95, नई 26 वार्ड नंबर-01 पर स्थित है, जिसका माप 660 वर्ग फीट है। मोहल्ला नई आबादी रामसिंह नेताजी कॉलोनी गली नंबर-02, पुराना सर्वे नंबर-118/5, ग्राम मक्सी, शाजापुर, मध्य प्रदेश 465106। प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- उत्तर - सड़क, दक्षिण - भरत पटेल का प्लॉट, पूर्व - विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम - विक्रेता का प्लॉट।
7.	(ऋण खाता संख्या) LNHLSHJ000083201 (पुराना) 50300000944901 (नया) (शुजालपुर शाखा)मोहन सिंह गुर्जर (उधारकर्ता) सुमन गुर्जर (सह-उधारकर्ता)	20.07.2026 रू. 3,93,670/- (01.06.2026 तक)	जमीन और बिल्डिंग वाली पूरी प्रॉपर्टी का विवरण इस प्रकार है: ग्राम सिमरोल, मकान नंबर 487, साइज 1800 वर्ग फीट, पीएच नंबर 29, खसरा नंबर 424, एयरटेल टॉवर के पास, तहसील गुलाणा, ज़िला शाजापुर, मध्य प्रदेश, 465223। प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- उत्तर- श्री सवाई सिंह का मकान, दक्षिण- अपना प्लॉट, पूर्व- सड़क, पश्चिम- श्री गोवर्धन सिंह का मकान।
8.	(ऋण खाता संख्या LNHLSHM000058555 (पुराना) 51200000891542 (नया) (शामगढ़ शाखा) स्वर्गीय रामलाल सूर्यवंशी (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से) (उधारकर्ता) दिलीप कुमार सूर्यवंशी, सोहन बाई (सह-उधारकर्ता)	24.07.2026 रू. 4,76,104/- (03.07.2026 तक)	जमीन और इमारत वाली पूरी प्रॉपर्टी का विवरण इस प्रकार है: प्रॉपर्टी का प्लॉट सर्वे नंबर 708/9 पीएच नंबर 14, क्षेत्रफल 551 वर्ग फीट, गाँव कस्बा गरोठ, तहसील गरोठ, ज़िला मंदसौर, मध्य प्रदेश-458880 पर स्थित है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- उत्तर - 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण - कंवरलाल (पिता चंपालाल जी चमार) का घर, पूर्व - किशन (पिता हरिराम जी चमार) का घर, पश्चिम - 10 फीट चौड़ी सड़क।
9.	(ऋण खाता संख्या LNHEJIR000130478 (पुराना) 50700000565042 (नया) और LNHLJIR000057671 (पुराना) 50300000800634 (नया) (जीरापुर ब्रांच) पवन कुमार (उधारकर्ता) मेघारानी कुमार (सह-उधारकर्ता)	24.07.2026 रू. 6,11,740/- (24.07.2026 तक)	यह पूरी प्रॉपर्टी (जमीन और बिल्डिंग), जिसमें मकान नंबर 72, वार्ड नंबर 1, पीएच नंबर 58 शामिल है और जिसका कुल जमीन का एरिया 1090 वर्ग फीट (यानी 101.30 वर्ग मीटर) है; यह ग्राम पंचायत सिरपोई, जनपद पंचायत सुसनेर, तहसील- सुसनेर, ज़िला आगर-शाजापुर, मध्य प्रदेश-465447 में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर: सड़क, दक्षिण: राधेश्याम जी का मकान, पूर्व: जगदीश जी का मकान, पश्चिम: सड़क।

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। उक्त उधारकताओं को अधिनियम के तहत सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः शाजापुर, खंडवा, झाबुआ, आगर मालवा, मंदसौर
दिनांकः 31.07.2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए

आज का इतिहास

- 1880 : प्रसिद्ध हिन्दी कहानीकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म।
- 1912 : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम का निधन।
- 1933 : महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ा।
- 1947 : प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मुमताज़ का जन्म।
- 1948 : भारत में कलकत्ता में पहली राज्य परिवहन सेवा की स्थापना।
- 1980 : हिंदी सिनेमा के महान पार्श्वगायक मोहम्मद रफ़ी का निधन।
- 1992 : नेपाल की राजधानी काठमांडू में थाइलैंड का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 113 लोगों की मौत।
- 1993 : भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कलकत्ता में उद्घाटन।
- 1995 : भारत में संचार क्रांति की शुरुआत,पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कोलकाता से केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को देश की पहली मोबाइल फोन कॉल की थी।
- 2003 : इजरायल और फ़िलिस्तीन के सुरक्षा मंत्रियों की बैठक येरूशलम में समाप्त।
- 2006 : फिदेल कास्त्रो ने अपने भाई को सत्ता सौंपी।
- 2007 : भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिख को पाल हैरिस अवार्ड प्रदान किया गया।
- 2008 : थाइलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थॉक्सिन शिनावात्रा की पत्नी को कर चोरी के मामले में तीन वर्ष की सज़ा।
- 2010 : जयपुर के ऐतिहासिक जंतर-मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
- 2012 : प्रो. अशोक सेन को पहले यूरी मिलनर फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज़ के नौ विजेताओं में से एक विजेता घोषित किया गया।

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपीटल लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या LNMEDH1000166628 (पुराना) 80300005603301 (नया) (धार ब्रांच) अवनेश सिंह चौहान (उधारकर्ता) शोभा चौहान (सह-उधारकर्ता)	16.07.2026 रु. 29,13,099/- (03.07.2026 तक)	"वह पूरी प्रॉपर्टी जिसमें जमीन और बिल्डिंग शामिल है: हाउस नंबर 83, एरिया 600 स्क्वेयर फीट, वार्ड नंबर 14, (गाइडलाइन 06 के अनुसार), लक्ष्मी विहार कॉलोनी, राजगढ़, तहसील सरदारपुर, ज़िला धार, मध्य प्रदेश, 454116; प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- उत्तर - प्लॉट नंबर 82, दक्षिण - प्लॉट नंबर 84 (गौरव दुबे), पूर्व - प्लॉट नंबर 64, पश्चिम - कॉलोनी रोड"
2.	(ऋण खाता संख्या LNMEUJ1000157768 (पुराना) 81200005883358 (नया) LNMEUJN000079762 (पुराना) 80400005889074 (नया) (उज्जैन ब्रांच) स्वर्गीय मोहन सिरवी (उधारकर्ता) सीता बाई सिरवी, दीपक सिरवी (सह-उधारकर्ता)	16.07.2026 रु. 21,53,003.80/- (03.07.2026 तक)	"वह पूरी प्रॉपर्टी जिसमें जमीन और बिल्डिंग शामिल है - पुराना म्युनिसिपल नंबर 47, नया म्युनिसिपल नंबर 59; पताः वार्ड नंबर 10 (नया 12), खंडहर नगर, महात्मा गांधी मार्ग, तहसील बड़नगर, धार, मध्य प्रदेश - 454660; कुल एरिया 2283 वर्ग फीट। प्रॉपर्टी की सीमाएँ: उत्तर - श्री लालचंद पाल की जमीन, दक्षिण - सड़क, पूर्व - कॉमन रोड, पश्चिम - लालचंद की जमीन।"
3.	(ऋण खाता संख्या LNMEIND000059060 (पुराना) 80400005637361 (नया) (इंदौर ब्रांच) शुभम पटेल (उधारकर्ता) सीमा पटेल (सह-उधारकर्ता)	15.07.2026 रु. 21,55,119/- (03.07.2026 तक)	"जमीन और इमारत वाली पूरी प्रॉपर्टी, जिसका विवरण इस प्रकार है: पीएच नं. 48/140, ग्राम गुलवा, क्षेत्रफल 720 वर्ग फीट (यानी 66.91 वर्ग मीटर), ग्राम पंचायत गुलवा, तहसील और ज़िला धार, मध्य प्रदेश, 454001। प्रॉपर्टी की सीमाएँ: उत्तर - सुरेंद्र का घर, दक्षिण - आम रास्ता, पूर्व - सतीश का घर, पश्चिम - सुनील का घर।"

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः धार
दिनांकः 31.07.2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी),
केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति मो. बडोदिया जिला - शाजापुर (म.प्र.)

क्रमांक / मंडी/ नि./ 26-27 / 447 मो. बडोदिया दिनांकः- 28.07.2026

- / / निविदा आमंत्रण सूचना / /-

प्रमुख अभियंता म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एकीकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारो से प्रतिशत दर आधार पर सिस्टम निविदाएँ क्रमांक 2026_MPSAM_524788_1 के अंतर्गत ऑनलाईन निविदाएँ दिनांक 31.07.2026 समय 05.30 से दिनांक 22.08.2026 को साय 5:30 बजे तक आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल http//www.mptenders.gov.in/nicgep / app पर प्राप्त होगी, एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल http//www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोटः- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

सचिव
कृषि उपज मंडी समिति
मो. बडोदिया जिला शाजापुर

भारसाधक अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति
मो. बडोदिया जिला शाजापुर

कार्यालय नगर पालिक निगम, इन्दौर
(परिषद कार्यालय)

ई-टेंडरिंग/विज्ञप्ति क्रमांक 5/ परिषद/2026

द्वितीय बार निविदा

दिनांक : 28.07.2026

नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा दिनांक 12/08/2026 को पूर्व पार्षद स्व. श्री राजेश जोशी की पुण्यतिथि के अवसर पर कॉपियों के वितरण हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा दर अनुबंध के लिये निविदा ख्याती प्राप्त फर्मों से आमंत्रित की जाती है। निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

ग्रुप क्र.	कार्य का नाम	विवरण	अर्नेस्ट मनी	निविदा प्रपत्र का मूल्य
1	कॉपियों 50000 नग	1) कॉपियां 16.5x22 पेपर 50 (+ - 2 जी एस एम) 192 पेज 2) कॉपी की डिज़ाईन एवं प्लानिंग निगम की रहेगी। 3) डिज़ाईन एवं प्रिन्टिंग सहित दरें।	₹ 15,000/-	₹ 2,000/-

नोट : आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल म.प्र. शासन द्वारा जारी सरक्यूलर क्रमांक या.प्रा./07/2013/3616 भोपाल, दिनांक 22/05/2013 अनुसार निविदा स्वीकृत होने के उपरांत न्यूनतम निविदादाता को अनुबंध के साथ 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन कैश कार्ड/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड अथवा इन्टरनेट बैंकिंग एकाउन्ट के माध्यम से निर्धारित राशि जमा करने के बाद प्राप्त किए जा सकते हैं।

1. निविदा प्रपत्र विक्रय करने की प्रारंभिक तिथि दिनांक 28/07/2026 (समय 17.00 बजे से)
2. ऑनलाइन निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03/08/2026 को शाम 18:00 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र खोलने की अंतिम तिथि 04/08/2026 को सुबह 10:00 बजे से
4. विस्तृत निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण उक्त वर्णित पोर्टल पर देखा जा सकता है।
5. उपरोक्त दिनांक को किसी कारणवश अवकाश घोषित हो जाने की स्थिति में निविदा प्रपत्र क्रय व अर्नेस्ट मनी जमा कर अगले कार्य दिवस में प्रस्तुत की जावेगी।
6. ठेकेदार/ फर्म का जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नंबर / पेन नंबर की प्रति ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

प्रतिबंधित पॉलीथीन, कैरीबैग के निर्माण/ विक्रय/ उपयोग करने पर दंड व सजा का प्रावधान है।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

muthoot FINCORP Jab zindagi badalni ho

मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (सुरक्षित और असुरक्षित ऋण व्यवसाय प्रभाग)

(मुथूट पप्पाचन समूह की कंपनी) CIN : U65929KL1997PLCO11518
प्रशासनिक कार्यालय : 710-ए एवं 711-ए, सातवीं मंजिल, फेस-2, स्पेंसर प्लाजा, माउंट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई-600 002
पंजीकृत कार्यालय : मुथूट सेन्टर, टीसी नं. 27/3022, पुन्नेन रोड़, त्रिवेन्द्रम, केरला - 695 001

परिशिष्ट–IV [नियम 8(1)] आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस